

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to RGPV, Bhopal, M.P.)

Gola ka Mandir, Gwalior (M.P.)- 474 005, INDIA

Ph.: +91-751-2409300, e-mail: director@mitsgwalior.in, website: www.mitsgwalior.in

Date: 21/03/2023

Clarification

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise during last five years

As per the guidelines issued by Directorate of Technical Education, Madhya Pradesh for admission in UG and PG program in Autonomous and Govt. Aided institutes, 16%, 20% and 14% of the **MP domicile candidates** (90% of total seats) are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) OBC categories respectively.

In addition to above, 3% seats in each category viz - *UR, SC, ST and OBC shall be reserved for Physically handicapped candidates (with disability percentage of 40 or above and satisfying MP domicile requirements). This reservation is compartmentalized horizontal reservation and vacant seats in this category is filled by converting such seats into Open Seats of the NIL (X) category.

Therefore, the seats earmarked for reserved category are as follows:

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Total Sanctioned Seats	1201	1135	1123	1423	1542
MP Domicile Seats	1081	1022	1011	1281	1388
Seats earmarked for reserved category	526	497	493	622	674
Reserved for candidates with disability from the pool of SC, ST & OBC seats which was converted in to open seats	14	13	12	18	20

The above mentioned reservation norms for admission are provided in rule book issued by Directorate of Technical Education, Bhopal under following points:

1.4 Admission Rules:

In all professional institutions the procedure for admission shall be as

1.4.1 Availability of Seats:

Available seats for BE/B.Tech Institutes:

1	Government institution, Institutions declared autonomous by the State Government and Government Aided institutions and Self-financing autonomous institutions. Only those institutions, which have got permission	90% Seats for MP domicile candidates 5% All India Seats 5% NRI Seats (All India Seats & NRI seats if not filled
---	---	--

	for NRI seats from AICTE, New Delhi.	then converted into Seats for MP domicile candidates)
--	--------------------------------------	---

1.4.2 Allocation/Reservation of Seats


1.4.2.1 Seats for MP Domicile


16%, 20% and 14% of the seats of **MP seats** are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) OBC categories respectively in Government institutions, institutions declared autonomous by the State government, Government Aided Institutions and Self-financing autonomous institutions. Based on the admission process, if second phase of counselling is conducted, then vacant seats of different category of first phase will be redistributed.

Reservation for Persons with disabilities (Physically Handicapped Seats):

3% seats in each category viz - UR, SC, ST and OBC shall be reserved for candidates with disability percentage of 40 or above and satisfying MP domicile requirements. This reservation shall be compartmentalized horizontal reservation. Seats remaining vacant in this category shall be filled by converting such seats into Open Seats of the NIL (X) category.

The program wise distribution of seats and admission rule book issued by Directorate of Technical Education is attached for further details and reference.


20/3/2023
(Dr. Pratesh Jayaswal)
Registrar


(Dr. R K Pandit)
DIRECTOR
Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal MP)

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise

Year - 1 (2021-2022)

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	All India Seats	NRI Seats	MP Domicile Seats	UR	Reservation Sheet					
							ST	SC	OBC	Divyangjan (SC/ST/OBC)	Divyangjan (UR)	Divyangjan (Open)
B.Tech. Civil Engineering	3010	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Mechanical Engineering	3031	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electrical Engineering	3017	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electronics Engineering	3018	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech.Computer Sciences & Engineering	3013	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech.Information Technology	3029	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Chemical Engineering	3008	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
Bachelor of Architecture	6002	40	2	2	36	17	7	6	5	0	0	1
B.Tech. Automobile Engineering	3005	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Electronics and Telecommunication Engineering	3020	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Mathematics and Computing	9627	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Internet of Things	9710	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Internet of Things(IoT)	9711	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Information Technology(Artificial Intelligence and Robotics)	9702	60	3	3	54	26	10	9	7	0	0	2
B.Tech. Artificial Intelligence (AI) And Data Science	9701	60	3	3	54	26	10	9	7	0	0	2
B.Tech. Artificial Intelligence And Machine Learning	9704	60	3	3	54	26	10	8	8	0	0	2
B.Tech. Computer Science And Design	23462	60	3	3	54	26	10	8	8	0	0	2
Masters in Computer Applications	6024	60	3	3	54	26	10	8	8	0	0	2
M.Arch.Urban Planning	6005	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Production Engineering	7032	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Construction Technology and Management	7048	25	1	1	23	12	5	3	3	0	0	0
M.E. Industrial Systems Drives	7123	25	1	1	23	12	5	3	3	0	0	0
M.Tech. Computer Science & Engineering	7023	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Environment Engineering	7061	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
Management Business Administration (MBA)	7002	60	3	3	54	27	10	8	7	0	0	2
Total		1542	77	77	1388	672	271	215	188	0	1	41

P. Pratesh
24/3/2023

Dr. Pratesh Jayaswal
Registrar

Registrar

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)

R.K. Pandit

Dr. R.K. Pandit
DIRECTOR

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal MP)

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise

Year - 2 (2020-2021)

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	All India Seats	NRI Seats	MP Domicile Seats	UR	Reservation Sheet				Divyangjan (UR)	Divyangjan (Open)
							ST	SC	OBC	Divyangjan (SC/ST/OBC)		
B.Tech. Civil Engineering	3010	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Mechanical Engineering	3031	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electrical Engineering	3017	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electronics Engineering	3021	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Computer Science & Engineering	3013	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech. Information Technology	3029	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Chemical Engineering	3008	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Automobile Engineering	3005	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Electronics & Telecommunication Engineering	3020	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Internet of Things	9710	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Internet of Things (IOT)	9711	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Artificial Intelligence and Robotics	9702	60	3	3	54	26	10	9	7	0	0	2
B.Tech. Mathematics and Computing	9627	60	3	3	54	26	10	8	8	0	0	2
Bachelor of Architecture	6002	40	2	2	36	17	7	6	5	0	0	1
Masters in Computer Applications	6024	60	3	3	54	26	10	8	8	0	0	2
M.Arch. Urban Planning	6005	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Production Engineering	7032	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Construction Tech. and Management	7048	25	1	1	23	11	4	3	4	0	0	1
M.E. Industrial Systems and Drives	7123	25	1	1	23	12	4	3	4	0	0	0
M.E. Communication Control & Networking	7038	25	1	1	23	12	4	3	3	0	0	1
M.Tech. Computer Science & Engineering	7023	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Information Technology	7030	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Environment Engineering	7061	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Product Design	7129	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
MBA (Masters of Business Administration)	7002	60	3	3	54	27	10	8	7	0	0	2
Total		1423	71	71	1281	621	248	199	175	0	1	37

P. Pratesh Jayaswal
24/5/2023

Dr. Pratesh Jayaswal
Registrar
Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)

Dr. R.K. Pandit

Dr. R.K. Pandit
DIRECTOR
Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal MP)

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise

Year - 3 (2019-2020)

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	All India Seats	NRI Seats	MP Domicile Seats	UR	Reservation Sheet				Divyangjan (UR)	Divyangjan (Open)
							ST	SC	OBC	Divyangjan (SC/ST/OBC)		
B.Tech. Civil Engineering	3010	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech. Mechanical Engineering	3031	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electrical Engineering	3017	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electronics Engineering	3021	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Computer Science & Engineering	3013	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech. Information Technology	3029	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Chemical Engineering	3008	60	3	3	54	26	11	8	7	0	1	1
Bachelor of Architecture	6002	40	2	2	36	17	7	6	5	0	0	1
B.Tech. Automobile Engineering	3005	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Electronics and Telecommunication Engineering	3020	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
Masters in Computer Applications	6001	60	3	3	54	27	10	8	7	0	0	2
M.Arch.Urban Planning	6005	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Microwave Engineering	7076	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Production Engineering	7032	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Construction Technology and Management	7048	25	1	1	23	12	4	3	4	0	0	0
M.E. Industrial Systems Drives	7123	25	1	1	23	13	4	3	3	0	0	0
M.E. Communication Control & Networking	7038	25	1	1	23	11	5	3	4	0	0	0
M.Tech. Computer Science & Engineering	7023	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Information Technology	7030	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Environment Engineering	7161	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
Total		1123	56	56	1011	492	197	158	138	0	3	23

P. Jayswal
24/3/2023

Dr. Pratesh Jayswal
Registrar
Registrar

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)

R.K. Pandit

Dr. R.K. Pandit
DIRECTOR

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal MP)

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	All India Seats	NRI Seats	MP Domicile Seats	UR	Reservation Seats				Divyangjan (SC/ST/OBC)	Divyangjan (UR)	Divyangjan (Open)	
							ST	SC	OBC					
B.Tech. Civil Engineering														
B.Tech. Mechanical Engineering	3010	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	0	3	
B.Tech. Electrical Engineering	3031	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	0	3	
B.Tech. Electronics Engineering	3017	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	0	3	
B.Tech. Computer Science & Engineering	3021	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	0	3	
B.Tech. Information Technology	3013	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	0	3	
B.Tech. Chemical Engineering	3029	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	0	2	
B.Tech. Biotechnology	3008	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	0	2	
B.Tech. Automobile Engineering	3007	30	2	2	27	13	5	4	4	0	0	0	1	
Bachelor of Architecture	6002	40	2	2	36	17	7	6	5	0	0	0	1	
B.Tech. Electronics and Telecommunication Engineering	3005	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	0	2	
Masters in Computer Applications	3020	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	0	2	
M.Arch.Urban Planning	6001	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	0	2	
M.Tech. Microwave Engineering	6005	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0	0	
M.Tech. Production Engineering	7076	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0	0	
M.E. Construction Technology and Management	7032	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0	0	
M.E. Industrial Systems Drives	7048	25	1	1	23	12	4	3	4	0	0	0	0	
M.E. Communication Control & Networking	7123	25	1	1	23	12	4	3	3	0	0	0	1	
M.Tech. Computer Science & Engineering	7038	25	1	1	23	12	4	3	3	0	0	0	1	
M.E. Environment Engineering	7023	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0	0	
M.E. Environment Engineering	7161	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0	0	
Total		1135	57	57	1022	496	199	159	139	0	2	27		

P. Jayswal
24/3/2023

Dr. Pratesh Jayswal
Registrar
Registrar
Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)

Cgmp
Dr. R.K. Pandit
DIRECTOR

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR
(A Govt. Aided UGC Autonomous & NAAC Accredited Institute Affiliated to R.G.P.V., Bhopal MP)

Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year-wise

Year - 5 (2017-2018)

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	All India Seats	NRI Seats	MP Domicile Seats	UR	Reservation Sheet				Divyangjan (UR)	Divyangjan (Open)
							ST	SC	OBC	Divyangjan (SC/ST/OBC)		
B.Tech. Civil Engineering	3010	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech. Mechanical Engineering	3031	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electrical Engineering	3017	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Electronics Engineering	3021	120	6	6	108	52	21	17	15	0	0	3
B.Tech. Computer Science & Engineering	3013	120	6	6	108	52	21	17	15	0	1	2
B.Tech. Information Technology	3029	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Chemical Engineering	3008	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Biotechnology	3007	30	2	2	27	13	5	4	4	0	0	1
Bachelor of Architecture	6002	40	2	2	36	18	7	5	5	0	0	1
B.Tech. Automobile Engineering	3005	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
B.Tech. Electronics and Telecommunication Engineering	3020	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
Masters in Computer Applications	6001	60	3	3	54	26	11	8	7	0	0	2
M.Arch.Urban Planning	6005	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Microwave Engineering	7076	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Production Engineering	7032	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Construction Technology and Management	7048	25	1	1	23	11	4	3	4	0	0	1
M.E. Structural Engineering	7091	7	0	0	6	4	1	0	1	0	0	0
M.E. Industrial Systems Drives	7123	25	1	1	23	12	4	3	3	0	0	1
M.E. Communication Control & Networking	7038	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Computer Science & Engineering	7023	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Information Technology	7030	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Chemical Engineering	7050	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.Tech. Cyber Security	7050	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Environment Engineering	7161	18	1	1	16	8	3	3	2	0	0	0
M.E. Construction Tech. Mgmt (PT)	7048	5	0	0	5	2	1	1	1	0	0	0
Total		1201	60	60	1081	526	210	168	148	0	2	27

P. Pratesh
24/3/2023

Dr. Pratesh Jayaswal
Registrar
Registrar

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)

R.K. Pandit

Dr. R.K. Pandit
Director
DIRECTOR

Madhav Institute of Technology & Science
GWALIOR (M.P.)-474005

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

एमसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
Admission Rules for MCA Course

सत्र 2022-23

1.	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित शासकीय, स्वशासी, अनुदानप्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं में एमसीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु। For admission in first year of MCA course in Government, Institution declared Autonomous by the State Government, Government Aided Institutions and Self-Financing Autonomous Institutions (Universities)	पृष्ठ 2-12
2.	निजी (Private) क्षेत्र के लिये निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में एमसीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु For admission in first year of MCA course in Private Professional Education Institutes	पृष्ठ 13-22
3.	विभिन्न प्रारूप (Proforma)	पृष्ठ 23-31
4.	एमसीए पाठ्यक्रम में संस्थावार सीटों की संख्या Institution wise Seats available for MCA Course	पृष्ठ 32-33

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

RULES FOR ADMISSION TO MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA) COURSE IN A.I.C.T.E. APPROVED INSTITUTIONS IN GOVERNMENT, INSTITUTION DECLARED AUTONOMOUS BY THE STATE GOVERNMENT, GOVERNMENT AIDED INSTITUTIONS AND SELF-FINANCING AUTONOMOUS INSTITUTIONS IN MADHYA PRADESH.

Session 2022-23

1.1 General:

These rules shall be known as Rules for admission to Masters of Computer Application (MCA) course in Government autonomous institution declared by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions in Madhya Pradesh, which are approved by All India Council for Technical Education, New Delhi.

1.2 DEFINITIONS:

In these rules, unless it is repugnant to the context,

- (i) 'AICTE' means All India Council For Technical Education, New Delhi a statutory body established by All India Council for Technical Education Act 1987;
- (ii) 'Course' means any course, the nomenclature of which is approved by the appropriate authority and for which a separate degree/diploma is awarded by any recognized University or Board or Institution (like B.E. Electrical, B.E. Mechanical, MCA, MBA, D Pharma, MBBS, BDS, etc.);
- (iii) 'CTE' means Commissiner Technical Education, M.P., Bhopal;
- (iv) 'RGPV' means Rajeev Gandhi Prodhogiki Vishwavidhyalaya, Bhopal, M.P.;
- (v) 'Principal' means the Head of the institution;
- (vi) 'Competent Authority ' means an Authority authorized by State Government on this behalf (i.e. Commissiner Technical Education, M.P. in this case);
- (vii) 'M.P.' means State of Madhya Pradesh as formed on 01-11-2000;
- (viii) 'NRI' means Non-Resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
- (ix) 'Category' means one of the four categories viz. 'Unreserved (UR)', 'Scheduled Caste (SC)', 'Scheduled Tribe (ST)' or ' Other Backward Classes (excluding creamy layer) (OBC)';
- (x) 'Open Seats' means seats open to both Female & Male Candidates.
- (xi) 'F' Seats means Female Candidates.
- (xii) 'M.P. Seats' means seats reserved for the residents of State of Madhya Pradesh.
- (xiii) 'NRI Seats' means the seats for the Non Resident Indians in various institutions;

- (xiv) 'AI Seats' means seats to be filled on All India basis.
- (xv) "TFW" means Tuition Fee Waiver seats.
- (xvi) "EWS" means Economical Weaker Section of Madhya Pradesh.

1.3 Applicability:

These rules shall be applicable to Government, institution declared autonomous by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions which are conducting MCA course as approved by the AICTE.

1.4 Admission rules –

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

1.4.1 Availability of seats –

Numbers of seats available in MCA institutions in Madhya Pradesh are as follows:

S. No.	Type of Institutions	Percentage of Intake capacity
1	Government institution, Institutions declared autonomous by the State Government and Government Aided institutions and Self-financing autonomous institutions. Only those institutions, which have got permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	90% Seats for MP domicile candidates 5% All India Seats 5% NRI Seats (All India Seats & NRI seats if not filled then converted into Seats for MP domicile candidates)
2	Government institution, Institutions declared autonomous by the State Government and Government Aided institutions and Self-financing autonomous institutions. Only those institutions, which have not received permission for NRI seats from AICTE, New Delhi.	95% Seats for MP domicile candidates 5% All India Seats (All India Seats if not filled then converted into Seats for MP domicile candidates)

NOTE:

(1) Approved intake capacity available in various professional educational institutions shall be available on the official counselling website (<https://dte.mponline.gov.in>) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) As per AICTE calendar If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution

gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government.

- (2.1) If extension of approval by AICTE and affiliation by concerned university is not provided to the existing institution / course then such institution will not be included in the counselling.

1.4.2 Reservation of seats:

16%, 20% and 14% of the seats of MP seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) OBC categories respectively in Government institutions, institutions declared autonomous by the State government, Government Aided Institutions and Self-financing autonomous institutions.

NOTE:

- (a) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (b) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of verification of documents.

1.4.2.1 Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST categories of MP shall have to produce a certificate at the time of verification of documents from the competent authority in Proforma-1 (Annexure-1) as given in this rule book. (Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 01-08-1996 and as per latest order issued by the Govt. of M.P.

1.4.2.2 OBC category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate at the time of verification of documents issued by the competent authority in **Proforma-2 (Annexure-2)** as given in the rule book. (Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 12.03.1997 and order no. F-7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 06-07-2000 and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The

candidate should also bring an income certificate at the time of verification of documents regarding his/her family's income from the Competent Authority or Income certificate as prescribed by GAD, Government of M.P. by their circular no. सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 **Proforma-10 (Annexure-3)** and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before 30th April, 2019.

1.4.3 Horizontal Reservation

1.4.3.1 Reservation for Female candidates:

30% seats in each category viz UR, SC, ST and OBC shall be reserved for Madhya Pradesh Domicile female candidates. This reservation shall be a compartmentalized horizontal reservation. Seats remaining vacant in female quota of a category shall be filled by converting such seats into Open Quota (OP) of the same category. However if even after this conversion the Open Quota (OP) of that category does not get filled then these vacancies shall be filled by converting them into Open Quota (OP) of other categories as per the procedure laid down in Rule.

1.4.3.2 Reservation for Persons with disabilities (Physically Handicapped Seats):

3% seats in each category viz - UR, SC, ST and OBC shall be reserved for candidates with disability percentage of 40 or above and satisfying MP domicile requirements. This reservation shall be compartmentalized horizontal reservation. Seats remaining vacant in this category shall be filled by converting such seats into Open Seats of the NIL (X) category. However, if even this conversion the Open Seats (OP) of that category does not get filled then these vacancies shall be filled by converting them in to Open Seats (OP) of other categories as per the procedure. Candidates claiming admission against these seats (Physically Handicapped Seats) shall be required to produce following certificates at the time of verification of documents:-

- (i) Disability Certificate from the concerned District Medical Board;

AND

- (ii) Eligibility Certificate for the course from the Superintendent, Government of India, Ministry of Labour, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh.

1.4.3.3 Reservation for NCC "C" Certificate passed candidates of Madhya Pradesh:-

Govt. of Madhya Pradesh, Technical Education and Skill Department order no. 758/2730/2009/42-2 Dated 26 March 2011, One percent (1%) seats of sanctioned intake shall be reserved in Government/ Government Aided Institution for NCC "C" Certificate holder/Passout Candidates of Madhya Pradesh.

1.4.4 J&K Migrant's Seats:

One seat, on over and above basis, in each of the Institution is reserved for J&K migrants. The admission shall be given on the basis of merit. The candidate shall have to produce a certificate as given in **Proforma-7 (Annexure-4)** duly signed by competent authority at the time of verification of documents.

Sons/daughters of the employees of MP Government who have served in the State of Jammu & Kashmir for curbing insurgency are also covered under the J&K migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the State of J&K. Candidates shall have to produce a certificate in **Proforma-8 (Annexure-5)** of this rule book at the time of verification of documents.

1.4.5 J&K Resident's Seats:-

One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu & Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to submit appropriate certificate issued by the competent Authority at the time of verification of documents. These seats shall be considered under All India Seats.

1.4.6 NRI Seats:

Institutions those get permission from AICTE, New Delhi for 5% NRI Seats of total intake capacity. Admission against these seats will be carried out as per the regulation published in MP Government Gazette dated 19th May, 2011 for admission against NRI seats "Admission

(Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011."

1.4.7 Tuition Fee Waiver Scheme Seats (TFW)

Under this scheme, upto a maximum of 5% of "Approved Intake" in MCA Course shall be available for these admissions. These seats shall be supernumery in nature. These supernumery seats shall be available only for MCA Institution, where a minimum 50% of "Approved Intake" is filled up in previous session.

These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidate whose family annual income from all sources should not be more than ₹ 8.00 Lac (Rupees Eight Lac Only).

The Tuition Fee Waiver scheme is limited to the tuition fee as approved by the State Govt. for the Govt. / Govt. Aided/ Autonomous Institutions and in case of private institutions tuition fee approved by the Admission & Fee Regulatory Committee, Madhya Pradesh. All other fees shall have to be paid by the Candidate.

In case of unavailability of the candidates for these seats; these seats will not be converted for others.

Admission for these seats will be done by centralized Counseling only and admission procedure for these seats will be same as notified by the competent authority for regular admission. The candidates of Madhya Pradesh will be eligible for admission on these seats.

1.4.8 Reservation for Economical Weaker Section (EWS) candidates of Madhya Pradesh: -

As per the Government of Madhya Pradesh, GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 July 2019, Ten Percent (10 %) Seats of approved intake will be available for admission in MCA Courses for Economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh. These seats will be available for Madhya Pradesh domicile candidate whose family annual income from all sources should not be more than ₹ 8.00 Lac (Rupees Eight Lac Only).

A candidate claiming for Economical weaker section (EWS) Seat shall have to produce a certificate from the competent authority in **Proforma-11 (Annexure-8)** as given in this rule book, As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 July 2019 and latest order issued by the Govt. of M.P. regarding Economical weaker section (EWS).

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
TENTATIVE SEATS IN M.C.A. COURSE FOR THE SESSION 2022-23

S.No.	Institute Name	Inake
Government [GIRLS]		
1	Government Geetanjali PG Girls College Bhopal	60
Government Aided		
1	Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior	60
2	Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha	30
3	Shri G.S. Institute of Technology & Science, Indore (M.P.)	60
Government Autonomous		
1	Jabalpur Engineering College, Jabalpur	60
Self Financing		
1	RUSTAMJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TEKANPUR, GWALIOR	20
University Owned		
1	Institute of Computer Science, Vikram University, Ujjain	30
2	S.O.S. in Computer Science and Applications, Jiwaji VV, Gwalior	40
3	School of Computer Science and IT, DAVV, Indore	120
4	University Institute of Computer Science and Applications (UICSA), R. D. V. V., Jabalpur	40
5	University Institute of Technology Barkatullah University, Bhopal	60
6	University Institute of Technology RGPV, Bhopal	60
Private		
1	Acropolis Institute of Technology & Research, Indore	60
2	Bansal Institute of Science & Technology, Bhopal	60
3	Guru Ramdas Khalsa Institute of Science & Technology (MCA), Jabalpur	60
4	Gyan Ganga College of Technology, Jabalpur	60
5	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur	60
6	Gyanodaya Institute of Professional Studies, Neemuch	60
7	Institute of Technology and Management, Gwalior	60
8	IPS Academy, School of Computers, Indore	180
9	Jawaharlal Institute of Technology (MCA) (Borawan) Khargone	45
10	Lakshmi Narain College of Technology(MCA), Bhopal	180
11	MAHAKAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT	60
12	Maharaja Ranjit Singh Group of Institution, Indore	60
13	Maharana Pratap College of Technology (MCA) Gwalior	60
14	Maharishi Centre for Educational Excellence, Bhopal	30
15	Mathura Devi Institute of Technology & Management, Indore	60
16	Nagaji Institute of Technology & Management, Gwalior	60
17	NRI Institute of Information Science & Technology, Bhopal	120
18	Oriental Institute of Science & Technology, Bhopal	120
19	Rewa Institute of Technology, Rewa	60
20	Sagar Institute of Research & Technology, Bhopal	60

S.No.	Institute Name	Inake
21	SAM College of Engineering & Technology, Bhopal	60
22	Sanghvi Institute of Management & Science (MCA), Indore	60
23	Scope College of Engineering Bhopal	60
24	Shree Sai Institute of Technology, (MCA) Ratlam	45
25	Shri Dadaji Institute of Technology & Science, Khandwa	60
26	Shri Ram Institute of Technology (MCA) Jabalpur	120
27	Shri Ram Institute of Technology, Jabalpur (2001)	60
28	Shri RGP Gujrati Professional Institute, Indore	60
29	Shri Vaishnav Institute of Management, Indore	60
30	Technocrats Institute of Technology & Science, Bhopal	60
31	Technocrats Institute of Technology (Excellence), Bhopal	60
32	Technocrats Institute of Technology, Bhopal	60
33	Vindhya Institute of Technology & Science, Satna	60

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.ई / बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2022-23

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-22
2	निजी (Private) क्षेत्र के लिये निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.ई./ बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 23-39
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 40-53
4	ब्रांच में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता तालिका-1	पृष्ठ 54-56
5	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या (बी.ई./बी.टेक.)	पृष्ठ 57-75

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में प्रवेश के लिये सत्र 2022-23 प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी:-

1.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं बी.ई./बी.टेक. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

1.2 परिभाषायें :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा यथा जेईई (मेन);
3. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसका नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री /डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई./बी.टेक. इलेक्ट्रिकल, बी.ई./बी.टेक. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि);
4. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं;
5. "एनटीए" से अभिप्रेत है नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) नोएडा;
6. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है कमिश्नर टेक्नीकल एजुकेशन, मध्यप्रदेश;
7. "रा.गां.प्रौ.वि" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
8. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
9. "सक्षम प्राधिकारी (सा.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
10. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;

11. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
12. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC);
13. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), टेकनिकल स्ट्रीम (TS), बिना वर्ग (X);
14. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
15. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
16. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
17. "TFW" से तात्पर्य "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट" है।
18. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।
19. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट;

1.3 लागू होना:-

ये नियम मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.ई./बी.टेक. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें:-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय। स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाएँ	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)
2	University Institute of Technology RGPV, Shivpuri राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भोपाल की घटक संस्था	85 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें 5 प्रतिशत सीटें एनटीपीसी के कर्मचारी और उनके वार्डस् (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित। (उक्त सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट:-

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।
- (ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

1.4.2.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी, स्ववित्तीय संस्थाओं, एवं विश्वविद्यालयीन की बी.ई./बी.टेक. संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी:-

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2019 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापितों की सीटें (J & K Migrants Seats) :-**

समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारूप-7** में जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई (मेन)-2022 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई (मेन)-2022 प्रवेश परीक्षा की योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर किये जायेंगे।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats) :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ड.) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटें

(Tuition Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावकों की **वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख** से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों पर प्रवेश के लिए केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। **इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।**

(ण) **क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :**

शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा। जबकि विश्वविद्यालयीन संस्था में केवल महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक श्रेणी में स्थान आरक्षित रहेंगे।

(अ) **बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), विकलांग (H) तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।**

सैनिक वर्ग (S):-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारूप-3 भाग(अ)** में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारूप-4** में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र

प्रारूप-3 भाग(ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र **प्रारूप-6** में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2022 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र **प्रारूप-3 भाग(ब)** में)

टिप्पणी :-

सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक,सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है ।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से **प्रारूप-5** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

विकलांग उम्मीदवारों की सीटें (Physically Handicapped Candidates seats) :-

ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनका निःशक्तता 40 प्रतिशत या 40 से अधिक है एवं जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी:-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
 - (अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र;
तथा
 - (ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) **नेपियर टाउन, जबलपुर** द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग:-

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होंगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण के साथ-साथ मध्यप्रदेश स्थित

विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

एन.सी.सी. "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :-:

जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।

(ब) मध्यप्रदेश की महिला (F) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा।

महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा।

टिप्पणी:

किसी वर्ग (Class) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (OP) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (Category) के बिना वर्ग (X/OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

(त) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के

कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्था का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चम्बल तथा होशंगाबाद सम्भाग में शासकीय अथवा अनुदान प्राप्त संस्थाएँ नहीं होने के कारण इन सम्भागों के निवासरत् उम्मीदवार क्रमशः एम.आई.टी.एस. ग्वालियर तथा यू.आई.टी. आर.जी.पी.व्ही, भोपाल में प्रवेश ले सकते हैं ।

टिप्पणी: “गरीबी रेखा” के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.4.2.2 एन.आर.आई (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश” (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई , 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.2.3 आल इंडिया (AI) सीटें:

समस्त संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें पर आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी।

1.4.2.4 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा। ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

1.4.2.5 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शिवपुरी में एनटीपीसी (NTPC) के कर्मचारी और उनके वार्ड्स (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित सीटें :-

म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-05-33/2013/42-1 भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021 के परिपालन में राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भोपाल की घटक संस्था इंजीनियरिंग महाविद्यालय, शिवपुरी में 05 (पाँच) प्रतिशत सीटें एनटीपीसी के कर्मचारी और उनके वार्ड्स (Employee and their Wards) के लिये आरक्षित रहेगी। इन सीटों पर प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।